उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-1/8196/2025-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01 दिनांकः 07-04-2025

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर।
[md@puvvnl.in/md@mvvnl.org/md@dvvnl.org/
md@pvvnl.org and kesco@kesco.org.in]

विषयः डिस्कम स्तर पर निलम्बन के उपरान्त कॉमन कैडर के कार्मिकों की बहाली पर तैनाती के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप अवगत हैं कि गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित की जाती है एवं कतिपय प्रकरणों में यथा आवश्यकता निलम्बन की कार्यवाही भी की जाती है। ऐसे कई प्रकरण संज्ञान में आये हैं जहां कि जांचोपरान्त तथा प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जांच प्रक्रिया के मध्य निलम्बित कार्मिकों को बहाल कर पूर्व तैनाती के स्थल अथवा समीपवर्ती तैनात कर दिया जाता है जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये जाते हैः-

1. कॉमन कैडर के निलम्बित कार्मिक को बहाली के समय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय को समर्पित कर दिया जाये। तदोपरान्त उक्त कार्मिक की तैनाती उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के स्तर की जायेगी। प्रकरण से सम्बन्धित जांच प्रक्रिया उसी डिस्कॉम में पूर्ववत जारी रहेगी।
2. नान कॉमन कैडर के कार्मिकों के निलम्बन के उपरान्त कारपोरेशन के पत्र संख्या-2261-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/ 2024-100-(01)प्र०सु०/1992 दिनांक 12-12-2024 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उनको निलम्बन से पूर्व के क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र वितरण क्षेत्र में ही बहाल कर तैनात किया जाए। नवीन तैनाती के समय इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखा जाये कि तैनाती किसी महत्वपूर्ण/संवेदनशील स्थल पर न की जाये, जिससे यह धारणा न बने कि कार्मिक की गंभीर अनियमितताओं के उपरान्त भी उसे किसी प्रकार का पारितोष दिया गया है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः -

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उक्त के अनुपालनार्थ।
2. समस्त निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), समस्त डिस्काम।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, समस्त डिस्काम।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, समस्त डिस्काम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, समस्त डिस्काम।

Pankaj Kumar
I.A.S.
Managing Director

U.P. Power Corporation Ltd
(U.P. Govt. Undertaking
Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg
Lucknow - 226 00
e-mail ID : office.md@uppcl.or
Office : 0522 - 228837

संख्या– 2261–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2024–100(01)प्र0सु0/92 दिनाँक 12-12-2024

<u>विषयः–</u> **डिस्काम स्तर पर निलम्बन के उपरान्त कॉमन कैडर/नान कॉमन कैडर के कार्मिकों की बहाली पर तैनाती के सम्बन्ध में।**

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं
केस्को, कानपुर।
E-Mail ID- md@puvvnl.in/md@mvvnl.org/md@dvvnl.org/md@pvvnl.org and mdkesco@kesco.org.in

आप अवगत हैं कि गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत डिस्काम द्वारा कार्मिकों को विभागीय कार्यवाही करते हुए निलम्बित कर सम्बद्ध किया जाता है। तदोपरान्त विभागीय जाँच प्रक्रिया में जॉचोपरान्त अथवा प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जॉच प्रक्रिया के मध्य निलम्बित कार्मिक को बहाल कर तैनात किया जाता है। यह संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय प्रकरणों में बहाल कार्मिकों को पूर्व तैनाती के स्थान पर अथवा समीपवर्ती स्थान पर ही तैनात कर दिया जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कदाचित यह उचित नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कार्मिक जो डिस्काम द्वारा निलम्बित कर बहाल किए जाए उनको निलम्बन से पूर्व के क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र वितरण क्षेत्र में ही तैनात किया जाए।

अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 2261–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2024 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

दूरभाष : 0121-2665734
फैक्स : 0121-2666062

ईमेल/डाक

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
Managing Director
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, Meerut—250001

CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 284 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई–3/जन०/ दिनांक 16 MAY 2025

विषय : अवर अभियन्ताओ की अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरणो की निस्तारण प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
प्रथम, द्वितीय, मेरठ/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, गाजियाबाद/नोएडा/
बुलन्दशहर/गजरौला/मुरादाबाद/मुजफ्फरनगर/सहारनपुर।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उप सचिव(ज0श0 एवं प्र0सु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 10–ज.श. एवं प्र.सु.–01/पाकालि/2019–21–प्र.सु./2001, दिनांक 02.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सहयोगी वितरण निगमों के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को विन्दु संख्या–1 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी निम्न अधिकार प्रतिनिधायन किये गये है :–

1. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–840–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018–21–प्र0सु0/2001, दिनांक 08.08.2018 में संशोधन करते हुये **वितरण के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को उनमें निहित अधिकारों के साथ अपने क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात** लेखा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी स्तर तक के कार्मिकों एवं **अवर अभियन्ताओं को लघु दण्ड दिये जाने के अधिकार प्रदान किये जाते है।**

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य मे निगमीय कार्यालय पत्र सं0 3730/पविविनिलि/मे/हा/ई–3/जन, दिनांक 11.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम मे अवर अभियन्ताओ के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध मे प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. अवर अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितता के संज्ञान मे आने/सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बन के पश्चात् खण्ड/इकाई प्रमुख द्वारा प्रकरण उचित माध्यम द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया जाये।
2. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रकरण के अवलोकनोपरान्त एवं आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण के माध्यम से कार्यवाही करते हुये प्रकरण निस्तारित किया जाये **अथवा** आरोप पत्र के माध्यम से जांच किये जाने हेतु अपने स्तर से जांच समिति गठित की जाये।
3. गठित जांच समिति द्वारा उ0प्र0पा0का0लि0, के माध्यम से जांच सम्बन्धी निर्गत निर्देशो के अनुपालन मे नियमानुसार जांच सम्पादित कर {विशेष रूप से नियम–7 (सात) की व्यवस्थाओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुये} सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की जाये।
4. प्राप्त जांच आख्या के तथ्यो के अवलोकनोपरान्त एवं कारपोरेशन के ज्ञाप सं0 10 दिनांक 02.01.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुपालन मे सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने स्तर से **लघु दण्ड** प्रदत्त कर प्रकरण को निस्तारित किया जाये।
5. प्राप्त जांच आख्या के तथ्यो के अवालोकनोपरान्त मुख्य अभियन्ता द्वारा यदि **वृहद दण्ड** की स्थिति पायी जाती है तो प्रकरण डिस्कॉम मुख्यालय को प्रेषित किया जाये। डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा प्राप्त प्रकरण की जांच आख्या की कार्यालय समीक्षा कर, जांच आख्या सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराकर अवर अभियन्ता से अभ्यावेदन प्राप्त किया जाये।
6. अवर अभियन्ता द्वारा डिस्कॉम मुख्यालय को अभ्यावेदन प्रेषित किया जाये।
7. उक्त अभ्यावेदन की डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा कार्यालय समीक्षा के उपरान्त प्रकरण प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा आवश्यकतानुसार दण्ड प्रदत्त कर प्रकरण को निस्तारित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवर अभियन्ताओ के प्रकरण डिस्कॉम मुख्यालय, मेरठ को सन्दर्भित न करते हुये अपने स्तर से निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा अपनी अधीनस्थ इकाईयों को भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि। (ईमेल द्वारा)

(आशु कालिया)
निदेशक (का० एवं प्रशा०)

सं० (i)/पविविनिलि, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में सादर अवलोकनार्थ।
2. निदेशक (तकनीकी), पविविनिलि, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. (ईमेल द्वारा) समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), अन्तर्गत पश्चिमांचल डिस्कॉम, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने मुख्य अभियन्ता से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

(आशु कालिया)
निदेशक (का० एवं प्रशा०)

दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062

ईमेल / डाक

CIN : U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
Managing Director
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, Meerut—250001

सं०   / पविविनिलि / मे० / हा० / ई–3 / जन० /   दिनांक

विषय : **अवर अभियन्ताओ की अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरणो की निस्तारण प्रक्रिया के सम्बन्ध में।**

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
प्रथम, द्वितीय, मेरठ / प्रथम, द्वितीय, तृतीय, गाजियाबाद / नोएडा /
बुलन्दशहर / गजरौला / मुरादाबाद / मुजफ्फरनगर / सहारनपुर।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उप सचिव(ज0श0 एवं प्र0सु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 10–ज.श. एवं प्र.सु.–01 / पाकालि / 2019–21–प्र.सु. / 2001, दिनांक 02.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सहयोगी वितरण निगमों के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को बिन्दु संख्या–1 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी निम्न अधिकार प्रतिनिधायन किये गये है :–

1. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–840–ज0श0 एवं प्र0सु0–01 / पाकालि / 2018–21–प्र0सु0 / 2001, दिनांक 08.08.2018 में संशोधन करते हुये **वितरण के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को उनमें निहित अधिकारों के साथ अपने क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात** लेखा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी स्तर तक के कार्मिकों एवं **अवर अभियन्ताओं को लघु दण्ड दिये जाने के अधिकार प्रदान किये जाते है।**

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य मे निगमीय कार्यालय पत्र सं0 3730 / पविविनिलि / मे / हा / ई–3 / जन, दिनांक 11.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम मे अवर अभियन्ताओ के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध मे प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. अवर अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितता के संज्ञान मे आने / सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बन के पश्चात् खण्ड / इकाई प्रमुख द्वारा प्रकरण उचित माध्यम द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया जाये।
2. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रकरण के अवलोकनोपरान्त एवं आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण के माध्यम से कार्यवाही करते हुये प्रकरण निस्तारित किया जाये **अथवा** आरोप पत्र के माध्यम से जांच किये जाने हेतु अपने स्तर से जांच समिति गठित की जाये।
3. गठित जांच समिति द्वारा उ0प्र0पा0का0लि0, के माध्यम से जांच सम्बन्धी निर्गत निर्देशो के अनुपालन मे नियमानुसार जांच सम्पादित कर {विशेष रूप से नियम–7 (सात) की व्यवस्थाओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुये} सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की जाये।
4. प्राप्त जांच आख्या के तथ्यो के अवलोकनोपरान्त एवं कारपोरेशन के ज्ञाप सं0 10 दिनांक 02.01.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुपालन मे सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने स्तर से **लघु दण्ड** प्रदत्त कर प्रकरण को निस्तारित किया जाये।
5. प्राप्त जांच आख्या के तथ्यो के अवालोकनोपरान्त मुख्य अभियन्ता द्वारा यदि **वृहद दण्ड** की स्थिति पायी जाती है तो प्रकरण डिस्कॉम मुख्यालय को प्रेषित किया जाये। डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा प्राप्त प्रकरण की जांच आख्या की कार्यालय समीक्षा कर, जांच आख्या सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराकर अवर अभियन्ता से अभ्यावेदन प्राप्त किया जाये।
6. अवर अभियन्ता द्वारा डिस्कॉम मुख्यालय को अभ्यावेदन प्रेषित किया जाये।
7. उक्त अभ्यावेदन की डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा कार्यालय समीक्षा के उपरान्त प्रकरण प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा आवश्यकतानुसार दण्ड प्रदत्त कर प्रकरण को निस्तारित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवर अभियन्ताओ के प्रकरण डिस्कॉम मुख्यालय, मेरठ को सन्दर्भित न करते हुये अपने स्तर से निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा अपनी अधीनस्थ इकाईयों को भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक: यथोपरि। (ईमेल द्वारा)

(आशु कालिया)
निदेशक (का० एवं प्रशा०)

सं० 284 **(i) / पविविनिलि, तददिनांक :** 16 MAY 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में सादर अवलोकनार्थ।
2. निदेशक (तकनीकी), पविविनिलि, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. (ईमेल द्वारा) समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), अन्तर्गत पश्चिमांचल डिस्कॉम, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने मुख्य अभियन्ता से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

(आशु कालिया)
निदेशक (का० एवं प्रशा०)

दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062

ईमेल / डाक

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
Managing Director
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, Meerut—250001

CIN : U31200UP2003SGC027458

सं0 3730 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई–3 / जन० / दिनांक 11 MAR 2025

विषय : स्पष्टीकरण / आरोप पत्र के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
प्रथम,द्वितीय, मेरठ / प्रथम, द्वितीय, तृतीय, गाजियाबाद / नोएडा /
बुलन्दशहर / गजरौला / मुरादाबाद / मुजफ्फरनगर / सहारनपुर।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अवर अभियन्ताओ द्वारा की गयी विभिन्न अनियमितताओ के दृष्टिगत आपके / आपके अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओ द्वारा अवर अभियन्ताओ के विरूद्ध आरोप पत्र के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु आलेख आरोप पत्र / अवर अभियन्ताओ को निलम्बित कर उनका निलम्बन आदेश निगमीय कार्यालय को आरोप पत्र के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

विदित हों कि उप सचिव(ज0श0 एवं प्र0सु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 10–ज0श0 एवं प्र0सु0–01 / पाकालि / 2019–21–प्र0सु0 / 2001, दिनांक 02.01.2019 के द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सहयोगी वितरण निगमों के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को बिन्दु संख्या–1 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी निम्न अधिकार प्रतिनिधायन किये गये है :–

1. **कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–840–ज0श0 एवं प्र0सु0–01 / पाकालि / 2018–21–प्र0सु0 / 2001, दिनांक 08.08.2018 में संशोधन करते हुये वितरण के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को उनमें निहित अधिकारों के साथ अपने क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात लेखा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी स्तर तक के कार्मिकों एवं अवर अभियन्ताओं को लघु दण्ड दिये जाने के अधिकार प्रदान किये जाते है।**

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. अवर अभियन्ताओ के गम्भीर प्रकरणों के आलेख आरोप पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु अपनी स्पष्ट संस्तुति निगमीय कार्यालय को प्रेषित किये जायें।
2. अवर अभियन्ताओ द्वारा की गयी विभिन्न अनियमितताओ तथा निलम्बन के शेष प्रकरणो मे उक्त ज्ञाप सं0 10 दिनांक 02.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम मे स्पष्टीकरण / आरोप पत्र के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(एस0एम0 गर्ग)
निदेशक (का० एवं प्रशा०)

सं० (i) / पविविनिलि, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में सादर अवलोकनार्थ।
2. (ईमेल द्वारा →) समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), अन्तर्गत पश्चिमांचल डिस्कॉम, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने मुख्य अभियन्ता से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

(एस0एम0 गर्ग)
निदेशक (का० एवं प्रशा०)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं0–10–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019–21–प्र0सु0/2001, दिनाँक 02. 01.2019

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सहयोगी वितरण निगमों के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को एतद्द्वारा स्थानान्तरण एवं अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी निम्न अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाता है :–

1. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–840–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018–21–प्र0सु0/2001, दिनांक 08.08.2018 में संशोधन करते हुए वितरण के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को उनमें निहित अधिकारों के साथ अपने क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात लेखा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी स्तर तक के कार्मिकों एवं अवर अभियन्ताओं को लघु दण्ड दिए जाने के अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण) को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात सहायक अभियन्ताओं के साथ–साथ सहायक अभियन्ता (भण्डार) एवं सहायक अभियन्ता (कार्यशाला) को भी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप अपने अधीनस्थ किसी भी इकाई में स्थानान्तरित करने के अधिकार प्रदान किये जाते हैं। स्थानान्तरण नीति से विचलन की दशा में प्रबन्ध निदेशक, डिस्कॉम के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

निदेशक मण्डल, उ0प्र0पा0का0लि0

सं0–10 (i)ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, केस्को लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. समस्त निदेशक गण उ0प्र0पा0का0लि0।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार/शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ/समस्त विद्युत वितरण निगम लि0।
11. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मुनीष कुमार अरविन्द)
उप सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0–840–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018–21–प्र0सु0/2001, दिनाँक 08 08.2018

कार्यालय–ज्ञाप

विद्युत वितरण निगमों के कार्यकलापों को सुचारु एवं प्रभावी रूप से संचालित एवं निष्पादित करने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञाप संख्या–310–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2010–21–प्र0सु0/2001, दिनांक 28.04.2010 को अवक्रमित करते हुए वितरण निगमों एवं ट्रान्सको के प्रबन्ध निदेशकों को पूर्व प्रतिनिधानित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के अतिरिक्त एतद्द्वारा सभी सहयोगी वितरण निगमों, केस्को एवं ट्रान्सको के प्रबन्ध निदेशकों को अभियन्त्रण संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य संवर्गों में समकक्ष स्तर तक के अधिकारियों के सम्बन्ध में समस्त अनुशासनिक एवं प्रशासनिक अधिकार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में आमेलित अधिकारियों/कार्मिकों की सेवा समाप्ति (Dismissal) के अधिकार को छोड़कर) प्रदान किया जाता है। इसके फलस्वरूप विद्युत वितरण निगमों, केस्को एवं ट्रान्सको के प्रबन्ध निदेशक इन कार्मिकों के स्थानान्तरण, लघु दण्ड/वृहद दण्ड एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।

2. वितरण निगमों, केस्को एवं ट्रान्सको द्वारा समस्त प्रकार की अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्यवाहियाँ (जिसमें सम्प्रेक्षा एवं सतर्कता से सम्बन्धित प्रकरण भी सम्मिलित होंगे) सम्पादित की जायेंगी।

3. उक्त अधिकारों के प्रतिनिधायन के पश्चात भी डिस्कॉम्स के कार्यक्षेत्र के किसी भी प्रकरण हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 को अनुशासनिक प्राधिकारी नामित करने हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 सक्षम होंगे।

4. जिन प्रकरणों में वृहद दण्ड दिया जाता है, उन्हें निदेशक मण्डल, उ0प्र0पा0का0लि0 के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

5. इस परिप्रेक्ष्य में संगत सेवा नियम/विनियमावली उक्त सीमा तक स्वयमेव संशोधित माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0–840(i)ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमाँचल/दक्षिणाँचल वि0वि0नि0लि0, केस्को लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

क्रमशः.........पृष्ठ/2

दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062

ईमेल / डाक

Office of the
प्रबन्ध निदेशक
Managing Director
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, Meerut—250001

CIN : U31200UP2003SGC027458

सं0 /पविविनिलि / मे0 / हा0 / ई–3 / जन0 / दिनांक

विषय : स्पष्टीकरण / आरोप पत्र के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
प्रथम,द्वितीय, मेरठ / प्रथम, द्वितीय, तृतीय, गाजियाबाद / नोएडा /
बुलन्दशहर / गजरौला / मुरादाबाद / मुजफ्फरनगर / सहारनपुर।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अवर अभियन्ताओ द्वारा की गयी विभिन्न अनियमितताओ के दृष्टिगत आपके / आपके अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओ द्वारा अवर अभियन्ताओ के विरूद्ध आरोप पत्र के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु आलेख आरोप पत्र / अवर अभियन्ताओ को निलम्बित कर उनका निलम्बन आदेश निगमीय कार्यालय को आरोप पत्र के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

विदित हों कि उप सचिव(ज0श0 एवं प्र0सु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 10–ज0श0 एवं प्र0सु0–01 / पाकालि / 2019–21–प्र0सु0 / 2001, दिनांक 02.01.2019 के द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सहयोगी वितरण निगमों के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को बिन्दु संख्या–1 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी निम्न अधिकार प्रतिनिधायन किये गये है :–

1. **कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–840–ज0श0 एवं प्र0सु0–01 / पाकालि / 2018–21–प्र0सु0 / 2001, दिनांक 08.08.2018 में संशोधन करते हुये वितरण के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को उनमें निहित अधिकारों के साथ अपने क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात लेखा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी स्तर तक के कार्मिकों एवं अवर अभियन्ताओं को लघु दण्ड दिये जाने के अधिकार प्रदान किये जाते है।**

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. अवर अभियन्ताओ के गम्भीर प्रकरणो के आलेख आरोप पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु अपनी स्पष्ट संस्तुति निगमीय कार्यालय को प्रेषित किये जायें।
2. अवर अभियन्ताओ द्वारा की गयी विभिन्न अनियमितताओ तथा निलम्बन के शेष प्रकरणो मे उक्त ज्ञाप सं0 10 दिनांक 02.01.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुक्रम मे स्पष्टीकरण / आरोप पत्र के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(एस0एम0 गर्ग)
निदेशक (का0 एवं प्रशा0)

सं0 3730 (i) / पविविनिलि, तददिनांक : 11 MAR 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में सादर अवलोकनार्थ।
2. (ईमेल द्वारा →) समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), अन्तर्गत पश्चिमांचल डिस्कॉम, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने मुख्य अभियन्ता से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

(एस0एम0 गर्ग)
निदेशक (का0 एवं प्रशा0)

All AEs
13/3/25